International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 27-03-2019; Accepted: 29-04-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 3; May 2019; Page No. 219-224

अलवर की भू–राजस्व व्यवस्था

Lekhraj Bairwa
Ph.d. Scholar, Department of History, Rajsthan University Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

अलवर राज्य की स्थापना

प्राचीन काल में इस प्रदेश का नाम 'मत्स्य' था। पुराणों में तथा कनिंघम महोदय ने इसे मत्स्य प्रदेश बताया है। महाभारत युद्ध से पूर्व यहाँ राजा विराट के पिता वेणु ने मत्स्यपुरी नामक नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। कालान्तर में इसे साचेड़ी और बार में माचेड़ी के नाम से जाना गया।

तीसरी शताब्दी के आस–पास इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार क्षत्रियों का अधिकार हो गया और संवत 202 में में राजा बाधराज ने मत्स्यपुरी से 3 मील पश्चिम में एक नगर की स्थापना की और वहाँ एक गढ़ का निर्माण करवाया। आगे चलकर राजदेव ने इस गढ़ का जीर्णोद्वार करवाया और अपने नाम पर इसका नाम 'राजगढ़' रखा।[2]

1756 ई. में मुगल बादशाह के शक्तिहीन हो जाने पर भरतपुर नरेश सूरजमल ने राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ व थानागाजी को छोड़कर अलवर पर अधिकार कर लिया जो लगभग 9 वर्ष तक उसके अधीन रहा। लेकिन जवाहर सिंह ने जयपुर नरेश से बिगाड़ करके भावँड़ा मण्डोली के युद्ध में परास्त होकर यह प्रदेश अपने हाथ से गवा दिया।

1769 ई. में मुगल सेनापति मिर्जा नजफखाँ ने माचेड़ी के राव प्रतापसिंह नरूका की सहायता से भरतपुर जीत लिया। इसके बाद इस पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। प्रतापसिंह की इस सेवा के लिए मिर्जा नजफखाँ की सिफारिश पर 1775 ई. में प्रतापसिंह को माचेड़ी की शाही सनद प्राप्त हुई तथा माचेड़ी जयपुर राज्य से स्वतंत्र मान लिया गया और 25 नवम्बर 1975 को महाराजा प्रतापसिंह ने अपने साहस, भुजबल व चतुराई से अलवर राज्य की स्थापना की।[2]

मुगल काल में अलवर राज्य दिल्ली व आगरा सूबों के अन्तर्गत आता था। उस समय यहाँ का भू–राजस्व लगभग 14 लाख रुपया था। राजस्व जिन्स के रूप में लिया जाता था। इस व्यवस्था से किसानों को बहुत परेशानी होती थी तथा राज्य के कर्मचारी काश्तकारों के अलावा राज्य को भी धोखा देकर अपने घर भरते थे। अतः 1838 ई. में यहाँ भूमि निर्धारित लगान पर निर्धारित समय के लिए दी जाने लगी।[3]

प्राचीन काल से ही भारत में भूमि पर लगान उपज का 1/6 लिया जाता रहा है। मुगल काल में अलवर में टोडरमल का भूमि बन्दोबस्त लागू था, यह बन्दोबस्त 1566 ई. में लागू किया गया था जिसके अनुसार यहाँ से लगभग 10 लाख रुपये का भू–राजस्व प्राप्त होता था।[4]

भूमि के वर्गीकरण के अनुसार राजस्व वसूली

- पोलज– हर वर्ष खेती की जाने वाली भूमि।
- परती– कुछ समय के लिए इस पर खेती नहीं की जाती है।
- चाचर– इस भूमि पर तीन–चार वर्ष खेती नहीं जाती है।
- बजंर– 5 या इससे अधिक वर्ष तक खेती नहीं करते है।

अकबर ने भू–राजस्व व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस की। अकबर ने न केवल बीघा की नाप निर्धारित की बल्की उत्पादन राज्य का 1/3 भाग निश्चित किया। कैप्टन इम्वे के अनुसार उसके बंदोबस्त से पहले भू–राजस्व निर्धारण की मुख्य विधियों में कनकूट बँटाई, चकोता और बीघोरी मुख्य रूप से प्रचलित थी।अलवर राज्य में ठेकेदारी प्रथा महाराजा विनयसिंह के समय (1815–57 ई.) में उसके मुस्लिम मंत्री द्वारा लागू की गई। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस प्रथा का और विस्तार किया गया और कैप्टन इम्पे के बंदोबस्त के समय इस व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू किया गया। 1938 ई. तक तो राजस्व फसल के उत्पादन के अनुसार लिया जाता था, जिसमें राज्य का हिस्सा 1/2 होता था और एक से तीन सेर पर माउण्ड राजस्व संग्रहण करने पर खर्च किया जाता था। उस समय भू–राजस्व इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती थी।[5]

1938 ई. मुस्लिम दीवान अंजुमन और उसके दो भाइयों को राजस्व वसूली का अधिकार 2–3 वर्ष का दिया गया, उन्होंने किसानों से जबरन और अत्याचारपूर्वक वसूली की। यह व्यवस्था 1958 तक लागू रही। इसके बाद भू–राजस्व वसूली की व्यवस्था से सुधार किया गया।

फरवरी 1859 में पॉलिटिकल एजेन्ट ए. मि. इम्पे ने त्रिवार्षिक प्रबन्ध का कार्य आरम्भ किया। इस प्रबन्ध में भूमि की दशा आदि अनेक आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर अलवर राज्य का भू–राजस्व कर निश्चित किया गया।

कैप्टन इम्पे को नवम्बर, 1858 में अलवर का पॉलिटिकल ऐजेन्ट बनाया गया। उसने राज्य में प्रथम अस्थाई बन्दोबस्त करने से पूर्व 10 वर्ष के भू–राजस्व के आँकड़े लिए; तथा 1849–1850 ई तक के प्रति वर्ष 1558–59 ई. तक के प्रति वर्ष भू–राजस्व की वसूली के आँकड़े अपनी 23 जून 1860 की रिपोर्ट में निम्नानुसार दर्शाये गये है–[6]

तालिका 1

क्र. संख्या	वर्ष	भू–राजस्व	5 वर्ष का औसत
1.	1849–50	15,17,330	
2.	1850–51	14,95,026	
3.	1851–52	13,58,181	14,63,227
4.	1852–53	16,09,390	
5.	1853–54	13,88,700	
6.	1854–55	15,16,537	

भूमि की माप (पैमाईश)

अलवर राज्य में 1838 ई. के भू–राजस्व बंदोबस्त से पहले तक भू–राजस्व वस्तु के रूप में लिया जाता था, व लगान वसूली का 1/3 अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जाता था। प्रमुख फसलों पर लगान प्रति बीघा के हिसाब से वसूला जाता था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कच्चे बीघा की लम्बाई राज्य में समान

नहीं थी। इसको मापने के लिए जरीब या चैन का प्रचलन था। कच्चा बीघा को नापने के लिए जरीब 20 गांठ की 58 गज लम्बाई होती थी। कच्चा बीघा एक जरीब (चैन) वर्ग का होता था यह पक्का या शाहजहाँनी बीघा की तुलना में लगभग 11/15 भाग था। जबकि पक्का बीघा कानूनी रूप से एक एकड़ का 5/8 या 625 भाग होता था।[7]

पहला संक्षिप्त बंदोबस्त फरवरी, 1859 में कैप्टन इम्पे द्वारा लागू किया गया। कैप्टन इम्पे उस समय अलवर के पॉलिटिकल एजेंट थे। यह व्यवस्था 1859–60, 1860–61 व 1861–62 के लिए इम्पे ने हेदरली के साथ शुरू की। इसी व्यवस्था को भरतपुर में सर हेनरी लॉरेंस ने 1855 में लागू किया था। इम्पे ने भू–राजस्व का निर्धारण प्रत्येक गाँव व प्रत्येक तहसील में दौरा कर अलग–अलग जाति के किसान व गाँव के लोगों से सम्पर्क कर लागू किया। इम्पे ने सामूहिक रूप से सभी कुँओं की संख्या भूमि का क्षेत्र, मिट्टी की किस्म और विभिन्न फसलों के आधार पर व पिछले 10 वर्ष के भूराजस्व आँकड़ों के अनुसार भूराजस्व निर्धारित किया

इस बंदोबस्त में लगभग 1500 गाँवों के खालसा क्षेत्रों में करों का निर्धारण किया गया तथा 400 जागीर गाँवों को इस बंदोबस्त में छूट प्रदान की गई। निम्नलिखित परिणाम के साथ इस बंदोबस्त को पूर्ण किया गया–

तालिका 2

क्रं सं.	वर्ष	कुल राजस्व (रु. में)
1.	1859–60	13,83,816
2.	1860–61	14,77,299
3.	1861–62	14,77,160

1859–60 ई. में निम्न प्रकार से कर वसूला गया।

तालिका 3

क्रं सं.	निर्धारित कर राशि	13,83,816 रु.
1.	वसूली गई राशि	13,67,496 रु.
2.	शेष वसूली जाने वाली राशि	16,208 रु.
3.	अप्राप्त राशि	112 रु.

इस बंदोबस्त का लोगों ने स्वागत किया। वीरान गाँवों को आबाद किया गया और लगभग 17000 बीघा भूमि को कृषि योग्य बनाया गया।

2 वर्षीय बंदोबस्त से पूर्व खालसा क्षेत्र का लगान निर्धारण और वसूली का कार्य तहसीलदार व उसके कर्मचारी करते थे। वे अपनी मर्जी से लगान वसूल करते थे। वे किसानों से ऋण लेकर राज्य के खजाने में जमा नहीं करवाते थे। इम्पे के तीन वर्षीय बंदोबस्त से इन बुराइयों से किसानों को छुटकारा मिलने लगा। पहले जमींदार, ठेकेदार व गाँव के मुखिया लगान के लाभ से किसानों को दूर कर स्वयं लाभ कमाते थे। लेकिन अब इस बंदोबस्त से लगान का निर्धारण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जिससे गाँव के मुखिया लम्बरदार, ठेकेदार किसानों को लगान के लिए परेशान नहीं कर सके।[8]

10 वर्षीय बंदोबस्त (1862–63 से 1871–72) ई.

तीन वर्षीय संक्षिपत बंदोबस्त की सफलता से प्रोत्साहित होकर कैप्टन इम्पे ने 10 वर्ष (1862–1872 ई.) बंदोबस्त का सुझाव राज्य परिषद को दिया।

अगस्त, 1862 ई. को भारत सचिव के हस्ताक्षर से अनुमोदित होने के बाद जनवरी 1863 ई. में इस बन्दोबस्त को पूर्णतः भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। यह बंदोबस्त 1859 ई. के 3 वर्षीय बंदोबस्त को मूल आधार मानकर लागू किया गया। इम्पे के तीन वर्षीय बंदोबस्त की तुलना में 10 वर्षीय बंदोबस्त में औसत रूप में पूरे राज्य की लगान में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई। भूराजस्व वसूली बढ़ाने के लिए कृषि भूमि व कुँओं का विस्तार किया गया। कुँओं के विस्तार व कृषि भूमि के विस्तार से लगान वसूली में कठवाई नहीं होती थी।[9]

तीन वर्षीय बंदोबस्त की तुलना में इस बंदोबस्त में कर का निर्धारण अलवर तहसील में 40 प्रतिशित और बानसूर तहसील में 10.6 प्रतिशत लगान बढ़ाया गया। बहरोड़ तहसील में पूर्वबंदोबस्त की राशि 1,45,151 से 1,60,582 रु. कर दी गई। 1870 ई. में मेजर केडल को अलवर राज्य का पॉलिटिक्स एजेंट बनाया गया। इसने 10 वर्षीय बंदोबस्त का उन्मूलन करने का निर्णय लिया। राजस्व संग्रह करने के लिए मि. हेदरली को डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया। इसने राजस्व वसूली के लिए अयोग्य व अविश्वसनीय तहसीलदारों की नियुक्ति की। तहसीलदारों की संख्या 17 से घटाकर 12 कर दी गई। नये प्रशासन ने बंदोबस्त करने की आवश्यकता महसूस की और जनवरी 1872 में मेजर पाउलेर बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया।

नियमित बंदोबस्त की अंतिम रिपोर्ट फरवरी 1877 ई. में मेजर पाउलेर द्वारा तैयार की गई मेजर इम्पे द्वारा निर्धारित की राशि 17,76,559 रु. से बढ़ाकर 19,59,185 कर दी गई।[10]

मेजर पाउलेट का भू–राजस्व बंदोबस्त (1872–73 ई.)

तीसरे भूमि बंदोबस्त का कार्य मेजर पाउलेट की देखरेख में सन् 1872 में शुरू किया गया जो 8 माह में पूर्ण हुआ। 1872–73 ई. में 4 वर्षीय नियमित बंदोबस्त मेजर पाउलेट द्वारा लागू किया गया। इस बंदोबस्त का मेजर पाउलेट की बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। इस बंदोबस्त के लिए मेजर पाउलेट ने प्रत्येक गाँव का दौरा कर सर्वे किया और भूराजस्व की लगान का निर्धारण किया। पाउलेट ने भूराजस्व के निर्धारण के लिए प्रत्येक गाँव में लगातार 8 माह तक सर्वे किया और 1872 ई. में यह बंदोबस्त लागू किया। पाउलेट ने मेजर इम्पे के बंदोबस्त की लगान निर्धारण की असमानता को दूर करते हुए उसने जिन गाँवों में भूराजस्व निर्धारण में शिथिलता बरती थी। वहाँ लगान में 1,53,736 रु. की वृद्धि की तथा जहाँ लगान अधिक आँका गया वहाँ उसने 23,866 रु. कम कर जमा निर्धारित की। राज्य द्वारा सामान्यतः उपज का 2/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यह उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में आसानी से वसूल किया जाता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में उपज का 3/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। इम्पे के बंदोबस्त से पूर्व कर का निर्धारण परगने की उपज के हिसाब से होता था। इसमें 2–5 प्रतिशत लम्बरदारों को वसूली के लिए दिया जाता था और 5 से 10 आना प्रति एकड़ बेकार भूमि के कर वसूल किया जाता था। लगान मुख्यतः कुल उत्पादन का 1/4 लिया जाता था। लेकिन ठाकुर व जागीरदार किसानों से 1/3 लिया करते थे इम्पे के बंदोबस्त से पूर्व जागीर गाँवों की स्थिति खालसा गाँवों से अच्छी होती थी। लेकिन आपत स्थिति में स्थिति विपरित होने लगी। करों का निर्धारण खालसा गाँव और जागीर गाँव में एक समान होता था। इस बंदोबस्त में यह निश्चित किया गया की पर्क यह 4 वर्षों तक लागू रहेगा तक तक नया बंदोबस्त बनकर तैयार न हो जाये। इस बंदोबस्त में पूरे राज्य में भूराजस्व में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।[11]

1876 का नियमित बंदोबस्त

तृतीय संक्षिप्त बंदोबस्त के दोहरान मेजर पाउलेट 1876–77 में प्रथम नियमित संक्षिप्त बंदोबस्त लेकर आये। यह बंदोबस्त उन्होंने 1876 में सर्वप्रथम खरीफ की फसल पर लागू किया। यह बंदोबस्त भूप्रबन्ध की अनुमति से 01.09.1876 को लागू किया गया।

प्रथम नियमित बंदोबस्त 16 वर्षों के लिए लागू किया गया था लेकिन 1877–78 ई. में अकाल पड़ने के कारण इसको बढ़ाकर 24 वर्षों के लिए कर दिया गया। इस बंदोबस्त में पिछले बंदोबस्त की तुलना में लगान में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इस बंदोबस्त में कर का निर्धारण सामान्यतः 2/3 निर्धारित किया गया। लेकिन राजपूतों व कुछ विशेष जातियों को प्रति रुपये पर चार आने की छूट प्रदान की गई। सभी खालसा गाँवों की पैमाइश की गई तथा भूमि का वर्गीकरण चिकनोट, मटियार व भूड में किया गया। वर्गीकरण के अनुसार कर का निर्धारण किया गया तथा खसरा पूर्ण किया गया। भूमि का खसरा निर्धारित करने के बाद पूरे गाँव का कर निर्धारित किया गया तथा उसके पेपर तैयार किये गये। इसके बाद बंदोबस्त अधिकार ने करों की तुलनात्मक जाँच की और जता की राशि निश्चित की। प्रारम्भिक सर्वे में मिट्टी चाही, डहरी, बारानी व कल्वेरेवल में विभाजित की गई। मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार भूमि पर लगान का वर्गीकरण किया गया। दूसरी जाँच परगनों पर की गई वहाँ पर पुरानी नकद कीमत अलग–अलग फसलों पर थी। उसे ही वहाँ लागू किया गया।[12]

इस भूप्रबन्ध की कुल कीमत 310,000 रु. थी जिसके अन्दर 115,000 रु. भू–सर्वेक्षण मद के लिए थे। इस बंदोबस्त का समय चार वर्ष चार महिने का रहा। इस अवधि में 1872 के भू–प्रबन्धकी अवधि भी शामिल थी।

इस बंदोबस्त में कैप्टन अब्बौर को कार्यवाहक भू–प्रबन्ध अधिकारी बनाया गया तथा इनका कार्यकाल 20 महीने का रहा जबकि मेजर पाउलेट मेजर केडल के स्थान पर अलवर के पॉलिटिकल एजेंट बनाये गये। इस बंदोबस्त में पूरी तहसील की जमा प्राप्त होने जाने पर गाँव में घोषणा की जाती थी। भूराजस्व के लिए अलवर में 1.5 आना प्रति बीघा पर निर्धारित किया गया। कर निर्धारण के शुरूआत में 1877–78 में अलवर राज्य में अकाल पड़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने में कई वर्ष लगे। इन सब परिस्थितियों के बावजूद यह बहुत मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं था कि नियमित बंदोबस्त की कमियों को उजागर किया जाय। इस बंदोबस्त में थानागाजी और राजगढ़ में कर का निर्धारण बढ़ाकर किया गया।[13]

इस बंदोबस्त में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा निर्णित न्यायिक मुकदमें, इनमें वे मुकदमें शामिल नहीं है जिनके कि पॉलिटिकल ऐजेंट को अपीले पेश की गई थी, निम्नलिखित प्रकार से है–

थानागाजी में सिंचित में असिंचित भूमि के बीच के भाग का उत्तर सिंचित भूमि से वसूल करने का प्रावधान किया गया। यहाँ पर दो आने से चार आने तक भूड द्वितीय पर वसूल किया जाता था। दो फसली लगान सात गाँवों से वसूल किया जाता था; सबसे नीचे डहरी सिंचित भूमि को रखा गया।

द्वितीय नियमित बंदोबस्त (1898–99 ई.)

द्वितीय नियमित बंदोबस्त सर माइकल ओ डायर द्वारा 1897 से 1900 के बीच तैयार किया गया। सर्वप्रथम सर्वे और रिकार्ड का काम ले. दुर्गाप्रसाद को दिया गया जो एक पंजाब के रिटायर्ड ई. ए.सी. थे। इसके बाद मि. कॉलविन को बंदोबस्त कमीशनर नियुक्त किया गया। इस बंदोबस्त में मेजर पाउलेट के बंदोबस्त की तरह कर का निर्धारण उपज का 2/3 रखा गया। राजपूत व कुछ विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को इसमें कुछ छूट प्रदान की गई। पूरे राज्य में लगान वसूली में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। द्वितीय नियमित बंदोबस्त को 1898 ई. में खरीफ की फसल के साथ किशनगढ़, रामगढ़, गोविन्दगढ़, व लक्ष्मणगढ़ तहसीलों में लागू किया गया। 1999 ई. में तिजारा, बहरोड़, मुण्डावर, कठुम्बर व राजगढ़ में लागु किया गया। 1900 ई. में शेष बची निजायतें अलवर, बानसूर व थानागाजी में लागू किया गया।

यह बंदोबस्त 20 वर्षों तक लागू रहा। इस बंदोबस्त से राज्य की वार्षिक आय में 227348 रु. की वृद्धि हुई बस्ता– 312 फा. 5 पृ. सं. 91 राज. राज्य अभि. बीकानेर इस बंदोबस्त में सफलतापूर्वक कार्य किया। राजस्व वसूली भी इसमें आसानी से की गई। उपजाऊ भूमि में बदल जाती थी तो उपज के आधार पर राजस्व में वृद्धि हो जाती थी। अलवर राज्य में मुख्य भूमि के तीन प्रकार है– चिकनोर, मटियार आर भूड़। निम्न चार्ट में खालसा क्षेत्र में माँग में वृद्धि को पूर्व बन्दोबस्त की तुलना में दर्शाया गया है।

तालिका 4

क्र. सं.	बंदोबस्त	राशि	प्रति बीघा दर	वृद्धि दर
1	तीन वर्षीय बंदोबस्त	14,65,615	–	–
2.	10 वर्षीय बंदोबस्त	17,63,425	–	20
3.	अस्थाई बंदोबस्त	18,89,002	–	8
4.	प्रथम नियमित बंदोबस्त	20,11,123	1, 8.0	6
5.	कर निर्धारण से पूर्व वर्षो की जमा	20,84,481	1, 7, 10	4
6.	ओ डायर का बंदोबस्त	22,73,486	1, 10, 0	9
7.	कर निर्धारण से पूर्व वर्षों की जमा	22,59,650	–	–6

माइकल ओ डायर द्वारा कुँओं के महत्व को समझते हुए राज्य के किसानों व जमीदारों के लिए अग्रिम ऋण की व्यवस्था चालू करनी पड़ी। और यह अग्रिम ऋण की व्यवस्था कई वर्षों तक लागू रही। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने तक जमीदारों को कुँए बनाने के लिए तकाबी ऋण प्रदान किया जाता रहा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से राज्य को अपने सभी संसाधन मानवीय भौतिक ब्रिटिस सरकार के लिए खोलने पड़े; जो फण्ड किसानों व जनता के लिए या उसके राज्य द्वारा ब्रिटिश सरकार की मदद के लिए देना पड़ा और अब जमीदार को तकाबी ऋण मिलना बन्द हो गया। कुछ वर्षो पहले राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत थी वह अब धीरे–धीरे कमजोर होने लगी। कृषि राज्य का मुख्य व्यवसाय बन गया और राज्य का आर्थिक विकास अब कुँओं पर निर्भर होने लगा। बाँधं द्वारा सिंचाई की राज्य द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं थी। राज्य के आर्थिक विकास का कोई रास्ता राज्य के पास नहीं था। केवल और केवल राज्य के विकास की एक मात्र कुँजी कुँए और और कुँए बनवाना था। पिछले बंदोबस्त में राज्य द्वारा 11,64,216 रु. का अग्रिम ऋण कुँए, बीज और मवेशीयों के लिए दिया जो निम्न प्रकार है–

- कुँए– 5,35,015 रु.
- बीज– 4,12,994 रु.
- मवेशी– 2,16,207 रु.

ओ डायर ने विचार रखा की जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जावे, और 50,000 रु. प्रति वर्ष जमीदारों को कुँए खोदने के लिए अग्रिम ऋण प्रदान किया जाये इस प्रकार की क्रियान्विति के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी व इमानदार तहसीलदारों को लगाया जाये। ऋण देने का तरीका बिल्कुल आसान था जिससे लोगों को मुख्यालय व अधिकारियों के पास चक्कर नही लगाने पड़े और सभी को आसानी से तकाबी ऋण मिल सके।[14]

तृतीय नियमित बंदोबस्त

तृतीय नियमित बंदोबस्त अलवर राज्य में पंजाब से सेवानिवृत डिप्टी कमीशनर राय बहादुर भाई हेतु सिंह द्वार 31 मई 1920 में शुरू किया गया। इस बंदोबस्त में 2945112 रु. का राजस्व निर्धारित किया गया। इन्होंने प्रथम छः महीने पिछले बंदोबस्त की जमाबन्दी पहाड़ों का निस्तारण, फाइलों को तैयार करने व पटवारीयों के प्रशिक्षण तथा प्राथमिक कार्य की रूपरेखा तैयार

करने में लगे। खरीफ की फसल पकने पर तीन तहसील–किशनगढ़, रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में भू–राजस्व के लिए फसल की जाँच की गई और अक्टूबर 1921 में किशनगढ़ में लगान निर्धारित किया गया। इसके बाद इसी वर्ष रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व मण्डावर में लगान निर्धारित किया गया। 1922 ई. में किशनगढ़ और रामगढ़ तहसीलों में नये कर निर्धारण की घोषणा की गई, इसका जमींदारों ने विरोध कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पर सरकार ने तुरन्त मि. एल. आर.. अब्बोर (आई.सी.एस., सी.आई.आर. पंजाब का वित्त कमीशनर) को रामगढ़ व किशनगढ़ तहसीलों में नये कर निर्धारण की समीक्षा के लिए नियुक्त किया। एब्बोर 02 अप्रैल 1922 को अलवर पहुँचे और किशनगढ़ व रामगढ़ तहसील के प्रभावित गाँवों का निरीक्षण किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1922 को सरकार को प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने निम्न गलतियों (कमियों) को उजागर किया। इस बंदोबस्त में भूराजस्व की जो दर निर्धारित की गई थी वह न्यायोचित नहीं थी। विशेषतः भूड़ और बारानी भूमि पर यह बहुत ज्यादा थी। इसके फलस्वरूप गरीब माँग बहुत कम हो गयी। किशनगढ़ तहसील में 21,000 रु. तथा रामगढ़ व मुण्डावर में प्रत्येक में 10,000 रु. का भूराजस्व कटौती की सिफारिश सरकार से की। राय बहादुर होतु सिंह ने अपनी बढ़ती हुई उम्र और अपा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उसकी जगह 19 अक्टूबर, 1922 को राय साहब पण्डित नन्दलाल टिक्कू को बंदोबस्त कमीशनर बनाया गया।[15]

बंदोबस्त कमीशनर का पद ग्रहण करने के बाद 1922 में खरीफ की फसलों से बहरोड़ में नये कर का निर्धारण किया। उसी समय की एब्बोर के बंदोबस्त से कम रक का निर्धारण कर रामगढ़, किशनगढ़ व मुण्डावर तहसीलों में कर का निर्धारण किया। इन्हें अपना पहला सप्ताह बन्दोबस्त के पुनः गठन कर लागू करने में बिताया। इन्होंने राजस्व विभाग में अनेक अव्यवस्था मिली थी। उन्होंने बंदोबस्त के लिए कड़ी मेहनत की।

इन्होंने लगभग एक वर्ष तक शेष 6 तहसीलों के 887 गाँवों का दौरा कर निरक्षण किया तथा पुनः करों का निर्धारण किया। इनके द्वारा बहरोड़, थानागाजी, राजगढ़, तिजारा, अलवर व बानसूर के बंदोबस्त में 6 माह का समय लिया और 30 अप्रैल, 1924 को बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण किया। कर का निर्धारण नकद रखा गया। सभी तहसीलों से नकद जमा प्राप्त करने के बाद कुल भूराजस्व जमा का आंकलन किया गया। 2/3 कुल राजस्व जमा का राज्य का हिस्सा था। कुल राजस्व जमा की राशि 30,52,283 निर्धारित की गई लेकिन राजपूतों को रियायत देने से 29,39,112 रु. का राजस्व जमा प्राप्त हो सका। 1931–32 ई. में किसानों को ज्यादा लगान लेने के कारण समस्या हुई। परिणामस्वरूप राज्य द्वारा सर फ्रांसिस वाइली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सर वाइली ने राज्य की जमा राशि घटाकर 21.6 लाख कर दी। यह किसानों के पहुँच में थी। यह राशि ओ डायर के बंदोबस्त के लगभग बराबर थी। सर वाइली में फील्ड ने कार्य नहीं किया लेकिन स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से संशोधित कर का निर्धारण आसानी से किया।[16]

तालिका 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		पूर्व माँग									वृद्धि	प्रतिशत	
तहसील	खालसा	माफी	कर्जमाफी	कुल	प्रभावी राजस्व बंदोबस्त दर	त्हसील माँग	गतिशील	माफी	कर्ज माफी कुल	कुल	खालसा	माफी	क्षे. प्रति बीघा कृषि
किशनगढ़	2,40,294	3,410	206	24,39,910	3,06,600	3,01,612	–	4733	256	306600	26	39	12.1.1
राजगढ़	2,98,605	5,509	–	30,4114	3,68,460	3,61,089	–	7371	–	368460	21	34	2.0.9
मुण्डावर	1,89,850	4,266	7,311	20,14,27	2,59,960	2,62,655	3,700	5570	7979	259004	30	31	1.14.6
लक्ष्मणगढ़	3,57,039	27,999	410	38,54,48	4,57,501	4,21,676	–	34665	–	456341	18	24	1.14.6
बहरोड़	2,14,219	8,030	6,425	22,86,74	2,82,4,00	2,63,404	120	10097	8147	281762	23	26	1.11.7
थानागाजी	1,53,293	24,473	295	18,42,20	2,00,000	1,70,950	170	26284	5336	202740	12	8	4.7.11
राजगढ़	1,73,264	22,473	295	19,60,32	2,22,100	1,97,039	470	28007	225	225741	14	24	3.2.7
तिजारा	1,79,800	5,365	–	18,51,56	2,40,800	2,31,198	3,080	6557	–	240839	30	22	1.6.5
बानसूर	1,84,303	17,138	6,200	20,76,41	2,63,100	2,32,195	2,654	22925	5605	263379	27	34	1.10.7
अलवर	2,68,307	20,325	12	28,86,42	3,51,000	3,36,920	565	24984	13	362482	26	21	2.3.10
कुल वद्धि	22,58,974	1,38,931	27,359	24,25,264	29,51,921	27,558,738	10,759	171187	27560	2968244	22.6	23.2	2.1.0

स्रोत : राज. राज्य अभि. अलवर बस्ता–172 फा. न. 8 पृ. सं. 55

1934 में अलवर राज्य में रबि की फसल पर 2,66,984 रु. कर का निर्धारण किया गया।

- किशनगढ़ : 14,360 रु.
- रामगढ : 44596 रु.
- बानसूर : 2479 रु.
- मुण्डावर : 4185 रु.
- लक्ष्मणगढ : 42817 रु.
- बहरोड : 36 रु.
- थानागाजी : 16876 रु.
- राजगढ : 28153 रु.
- तिजारा : 3938 रु.
- अलवर : 69544 रु.
- कुल योगः 22,6,984 रु.

स्रोतः राज. राज्य अभि. अलवर बस्ता 175 फा. 8 पृ. सं. 31

बन्दोबस्त के प्रथम वर्ष 1876–77 में राज्य कृषि क्षेत्र 3,39,579 हेक्टेयर था, जिसका 23.3 भाग सिंचित था। बंदोबस्त से ठीक पूर्व राज्य में उत्पादित फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात इस प्रकार था।

तालिका 6

क्र. सं.	फसल	कृषि क्षेत्र का प्रतिशत
1.	बाजरा	31.1
2.	जौ	11.9
3.	ज्वार	8.9
4.	चना	7.1
5.	कपास	6.9
6.	गेहूँ	2.1
7.	सरसों	0.7
8.	दालें	27.0
	कुल	100 प्रतिशत

पूर्व भू–राजस्व बंदोबस्त एवं वर्तमान भूराजस्व बंदोबस्त की तुलनात्मक सूची–192

तालिका 7

क्र. सं.	भूराजस्व बंदोबस्त	बंदोबस्त का वर्ष व अधिकारी	जमा की राशि रु.	भू–राजस्व में वृद्धि	भू–राजस्व में कमी
1.	अकबर कालीन 10 वर्षों बंदोबस्त	1566 ई.	1,00,000	–	लगान प्रति बीघा
2.	3 वर्षीय संक्षिप्त बंदोबस्त	1859 ई. कर्नल इम्वे	14,65,615	+ 20 प्रति	–
3.	10 वर्षीय संक्षिप्त बंदोबस्त	1862 ई. कर्नल इम्पे	17,53,425	+ 20 प्रति.	–
4.	4 वर्षीय संक्षिप्त बंदोबस्त	1872 ई. मेजर वाउलेट	18,89,002	+ 20 प्रति.	–
5.	16 वर्षीय बंदोबस्त	1816 ई. मेजर पाउलेट	20,11,128	+ 6 प्रति.	1/8
6.	20 वर्षीय बंदोबस्त	1901 ई. एम.एफ. ओ. डायर	22,73,486	+ 9 प्रति.	1/10
7.	20 वर्षीय बंदोबस्त	1923 ई. प. नन्दलाल	29.39.112	+ 22 प्रति.	1/3
8.	संशाधित बंदोबस्त	1934 ई. ए.वी. वाइली	23,40,066	– 13 प्रति.	1/11/2[17]

1876 के नियमित बंदोबस्त में प्रतिबीघा पर लगाये

तालिका 8

तिजारा परगना तिजारा				
क्र सं.	**तहसील**	**सिंचित दर**	**असिंचित दर**	**विशेष**
	तिजारा	रु. आना से रु. आना	रु. आना से रु. आना	विशेष
	प्रथम श्रेणी के गाँव	रु. 2–12 से 4–8	रु. 0–14 से 1–12	
	द्वितीय श्रेणी के गाँव	रु. 2–4 से 4–0	रु. 0–12 से 1–8	
	तृतीय श्रेणी के गाँव	रु. 2–0 से 3–8	रु. 0–8 से 1–4	
2.	टपूकड़ा परगना			
	मध्य में	रु. 2–4 से 3–2	रु. 1–0 से 1–6	सबसे नीचे
	उत्तर में	रु. 2–4 से 3–4	रु. 1–0 से 1–8	डहरी भूमि
	पूर्व में	रु. 3–0 से 3–4	रु. 0–14 से 1–4	भूमि है
	दक्षिण में	रु. 3–4 से 3–4	रु. 1–0 से 1–6	
3.	मण्डावर			
	प्रथम श्रेणी गाँव	रु. 2–0 से 5–4	रु. 1–8 से 3–0	
	द्वितीय श्रेणी गाँव	रु. 2–0 से 5–0	रु. 4–4 से 2–12	
	तृतीय श्रेणी गाँव	रु. 4–4 से 4–12	0–1 से 2–8	
4.	कठूमर			
	पश्चिमी रेतीला भाग	रु. 4–4 से 4–12	रु. 1–2 से 2–0	
	पूर्वी भाग	रु. 4–0 से 4–12	रु. 1–6 से 2–0	
	उत्तरी डहरी भाग	रु. 3–0 से 4–4	रु. 1–0 से 2–0	
	दक्षिणी डहरी भाग	रु. 3–0 से 4–0	रु. 1–0 से 2–0	
5.	किशनगढ			
	प्रथम डहरी भाग	रु. 2–8 से 5–8	रु. 1–4 से 3–8	
	द्वितीय डहरी भाग	रु. 2–8 से 5–0	रु. 1–2 से 2–12	
	प्रथम रेतीला भाग	रु. 4–4 से 4–8	रु. 1–0 से 2–12	
	द्वितीय रेतीला भाग	रु. 3–12 से 4–0	रु. 0–14 से 2–8	
6.	गोविन्दगढ़			
	प्रथम श्रेणी गाँव	रु. 4–4 से 4–0	रु. 1–6 से 3–0	
	द्वितीय श्रेणी गाँव	रु. 3–8 से 4–0	रु. 1–0 से 2–8	
7.	लक्ष्मणगढ़			
	प्रथम श्रेणी गाँव	रु. 0–3 से 5–0	रु. 1–0 से 2–4	
	द्वितीय श्रेणी गाँव	रु. 2–12 से 4–8	रु. 0–14 से 2–4	
	तृतीय श्रेणी गाँव	रु. 2–8 से 4–0	रु. 0–14 से 2–0	
8.	अलवर			
	प्रथम श्रेणी गाँव	रु. 5–0 से 6–0	रु. 1–0 से 2–8	
	द्वितीय श्रेणी गाँव	रु. 4–0 से 5–0	रु. 1–0 से 2–4	
	तृतीय श्रेणी गाँव	रु. 3–8 से 4–0	रु. 0–14 से 2–0	
9.	रामगढ़			
	प्रथम श्रेणी गाँव	रु. 4–0 से 6–0	रु. 1–0 से 3–0	उपर्युक्त
	द्वितीय श्रेणी गाँव	रु. 2–12 से 6–0	रु. 4–4 से 4–0	उपर्युक्त
	तृतीय श्रेणी गाँव	रु. 2–12 से 6–0	रु. 4–4 से 4–0	उपर्युक्त
10.	बानसूर			
	प्रथम श्रेणी गाँव	रु. 1–0 से 5–8	रु. 0–12 से 2–2	
	द्वितीय श्रेणी गाँव	रु. 1–4 से 5–8	रु. 0–12 से 0–2	
	तृतीय श्रेणी गाँव	रु. 1–0 से 3–8	रु. 0–10 से 1–0	

11.	राजगढ़			
	रेणी माचेडी परगना एक फसल वाला	रु. 1–12 से 4–10	रु. 1–0 से 2–1	
	राजपुर का भाग दो फसल वाला	रु. 2–0 से 4–14	रु. 1–11	
	राजपुर का भाग	रु. 7–12	रु. 1–11	
	राजगढ़	रु. 4–4 से 4–0	रु. 4–4	
	टहला का एक फसल वाला भाग	रु. 2–8 से 5–1	रु. 1–7	
	टहला का दो फसल वाला भाग	रु. 9–6	रु. 1–7	
12	बहरोड			
	चिकनी मिट्टी का प्रथम भाग	रु. 5–4 से 5–0	रु. 1–6 से 3–4	
	चिकनी मिट्टी का द्वितीय भाग	रु. 5–4 से 5–12	रु. 1–2 से 2–12	
	चिकनी मिट्टी का प्रथम–द्वितीय भाग	रु. 4–4 से 4–0	रु. 1–2 से 2–10[18]	

सन्दर्भ सूची

1. राज. राज्य अभि. बीकानेर क्रमांक. 181 बंधाक 26 ग्रन्थाक–2, पृ. सं. 1, 2, 30
2. गेहलोत जगदीश सिंह–कछवाहो का इतिहास –2004 जयपुर पृ. सं. 326
3. वही पृ. सं. 304
4. बी.एल.खटीक–अलवर की भूराजस्व व्यवस्था (अप्रकाशित थीसिस) 2007 राज. विश्व विद्यालय, जयपुर पृ. सं. 100
5. मायाराम–राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर अलवर (जयपुर) 1968 पृ. सं. 439
6. राज. राज्य अभि. अलवर–बस्ता नं. 175 फा. 8, चेप्टर–11
7. उपर्युक्त क्र. संख्या 4 पृ. सं. 94
8. उपर्युक्त क्र. संख्या 5 पृ. सं. 441, 442
9. राज. राज्य अभि. अलवर–बस्ता नं. 175 फा. 8, चेप्टर–11
10. मायाराम–राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर अलवर (जयपुर) 1968 पृ. सं. 443
11. राजस्थान राज्य अभि. बीकानेर बस्ता नं. 312 फा. नं. 5 पृ. सं. 90
12. उपर्युक्त क्र. संख्या 5 पृ. सं. 444
13. राजस्थान राज्य अभि. अलवर बस्ता नं. 175 फा. नं. 8 पृ. सं. 29
14. वही पृ. सं. 29–32
15. वही पृ. सं. 6
16. मायाराम–राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर अलवर (जयपुर) 1968 पृ. सं. 446
17. राजस्थान राज्य अभि. अलवर बस्ता नं. 175 फा. नं. 8 पृ. सं. 80
18. पाउलेट–पाउलेट डिस्ट्रीक्ट गजेटियर अलवर (अनु. अनिल जोशी) पृ. सं. 206